



“हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना”

के पर्यावरणीय व सामाजिक विकास प्रबंधन
प्रारूप (ई.एस.एम.एफ.)
के अंतर्गत पर्यावरणीय निर्देशों
(ईन्वायरमेंटल गाईडलाइन) का व्योरा



हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना – संक्षिप्त परिचय

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) द्वारा वित्त पोषित तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के तत्त्वधान में वर्ष 2016 से क्रियान्वित की जा रही “हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना” एक बहुआयामी परियोजना है। यह परियोजना प्रदेश के सभी 12 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल अवधि 7 वर्ष (2016-17 से 2022-23) तथा लागत 1134 करोड़ रुपये (171.50 मिलियन यू.एस. डॉलर) है। परियोजना की कुल लागत का 78.72 प्रतिशत हिस्सा (135 मिलियन यू.एस. डॉलर) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, 19.65 प्रतिशत (33.70 मिलियन यू.एस. डॉलर) प्रदेश सरकार द्वारा तथा 1.63 प्रतिशत हिस्सा (2.80 मिलियन यू.एस. डॉलर) स्थानीय लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना विकास का मुख्य उद्देश्य चयनित बागवानी फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा बाज़ार पहुंच बढ़ा कर प्रदेश के लघु किसानों व कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान कर इनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस परियोजना में 150,000 बागवानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिस में लगभग एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। परियोजना के अंतर्गत विशेष रूप से लघु एवम् सीमांत बागवानों, महिलाओं, छोटे तथा मध्यम वर्ग के बागवानी से जुड़े व्यवसायियों तथा कृषक समूहों और बागवानी से जुड़े अन्य सेवा प्रदाताओं को बढ़ावा दिया जायेगा। प्रदेश का बागवानी विभाग परियोजना की नोडल एजेंसी है। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शिमला के डायरटन बिज़हब, टालैंड में परियोजना निदेशक कार्यालय – परियोजना समन्वयक ईकाई (पी.सी.यू.) स्थापित किया गया है तथा परियोजना का क्रियान्वयन चार ईकायों बागवानी विभाग, एच.पी.एम.सी. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा बागवानी एवम् वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के माध्यम से किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य चार घटक इस प्रकार हैं : (1) बागवानी उत्पादन तथा विविधिकरण, (2) बागवानी उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा कृषि उद्यम स्थापित करना (3) बाज़ार विकास (4) परियोजना प्रबंधन निगरानी व अनुभव (सीख)।

पर्यावरणीय व सामाजिक विकास प्रबंधन प्रारूप (ई.एस.एम.एफ.):

बागवानी विकास परियोजना के निर्माण के दौरान पर्यावरण एवम् सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन किया गया ताकि विश्व बैंक के परिचालन दिशानिर्देश के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरण व सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं का समावेश किया जा सके। अध्ययन के दौरान प्रस्तावित परियोजना गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रमुख पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों की पहचान की गई तथा निदान सम्बन्धी उपायों को परियोजना की मुख्य धारा में शामिल किया गया। अध्ययन के परिणाम स्वरूप परियोजना का पर्यावरण एवम् सामाजिक प्रबंधन प्रारूप (ई.एस.एम.एफ.) विकसित किया गया ताकि पर्यावरण व सामाजिक मुद्दों व इसके निदान के उपायों को परियोजना नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी व प्रतिकूल प्रभावों का आवश्यक निदान कर परियोजना से होने वाले सम्भावित लाभ में बढ़ाव कर परियोजना के सतत् प्रभाव में वृद्धि की जा सके।

पर्यावरणीय दिशा निर्देश (ईन्वायरमेंटल गाईडलाईन)

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अधीन होने वाले कार्यकलापों जैसे जल संचयन व वितरण, सिंचाई प्रणाली, प्रविष्ट संगरोध (पोस्ट एंटी क्वारंटाइन) प्रदर्शन नर्सरी, कीट नाशकों व उर्वरकों का उपयोग, भंडारण, कीट व रोग निगरानी, ग्रामीण स्तर के सामुदायिक सेवा केन्द्र, परागणकों का प्रबंधन, एफ.पी.ओ. का संचालन. जलवायु परिवर्तन संबंधित कार्यकलाप तथा खाद्यानों व उत्पादन का भंडारण व विपणन इत्यादि के लिए उपयुक्त है। परियोजना के “पर्यावरणीय एवम् सामाजिक प्रबंधन प्रारूप” के अनुसार निम्नलिखित दिशा निर्देशों व क्रियाओं को सूचित किया गया है जो कि परियोजना के अग्रणी स्टाफ व लाभार्थियों द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन व संचालन गतिविधियों के दौरान प्रस्तावित पर्यावरणीय मुद्दों के निदान में सहायक है :

पर्यावरणीय दिशानिर्देश व इसकी परियोजना क्रियान्वयन में उपयोगिता :

संख्या	पर्यावरणीय दिशानिर्देश का नाम	परियोजना गतिविधियां जिसमें यह पर्यावरणीय निर्देश आपेक्षित है	क्रियान्वयन के जिस स्तर पर यह आवश्यक है
1.	मृदा/मिट्टी एवम् जल संरक्षण	बगीचे का प्रबंधन, जल संचयन ढांचे, लघु सिंचाई योजना एवम् प्रबंधन	योजना निर्माण एवम् संचालन स्तर पर
2.	मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन	उर्वरक एवम् जैविक खादों का उपयोग, वर्मी-कपोस्ट उत्पादन व इस्तेमाल, बागवानी के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, पुनः बगीचे लगाना व जीर्ण बगीचों का कायाकल्प करना।	योजना निर्माण एवम् संचालन स्तर पर
3.	कृषि व बागवानी	एकीकृत फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक विधि द्वारा बगीचों का प्रबंधन, बागवानी के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार, पुनः बाग लगाना, पुरातन बगीचों का जिर्णोधार करना।	संचालन क्रियान्वयन स्तर पर
4.	जल संचयन ढांचे व संरचनाएं	नूतन सामुदायिक सिंचाई योजनाएं, मौजूदा सिंचाई योजनाओं/व्यवस्थाओं का जिर्णोधार, जल संचयन बांधों/तालाबों संरचनाओं का निर्माण, जल व मृदा रोधक छोटे बांधों व उठाऊ सिंचाई योजनाओं का निर्माण, वर्षा के जल संग्रहण के लिए संरचनाओं का निर्माण, कम लागत के टैंकों का निर्माण इत्यादि।	योजना निर्माण व क्रियान्वयन स्तर पर
5.	जल उपयोग	जल उपभोक्ता एसोसिएशन का गठन तथा इनकी क्षमता विकास करना, ड्रिप सिंचाई योजनाओं का क्रियान्वयन।	क्रियान्वयन स्तर पर
6.	कृषक उत्पादक संगठन / कम्पनी का संचालन	कृषि उत्पादन सामग्री का संग्रहण व सामुदायिक सेवा केन्द्रों का निर्माण व संचालन, आपूर्ति श्रृंखला सम्बन्धित बुनियादी ढांचों का उन्नयन, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, भण्डारण सुविधाओं का निर्माण तथा संयंत्र लगाना।	क्रियान्वयन स्तर पर

7.	परिचालन सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य एवम् सुरक्षा दिशा निर्देश	मार्केट यार्ड, पैक हाउस/ स्टोर वर्गीकरण व ग्रेडिंग सुविधा युक्त नियंत्रित वातावरण व कोल्ड स्टोरज, पैक हाउस का निर्माण ।	क्रियान्वयन स्तर पर
----	---	---	---------------------

उपरोक्त पर्यावरणीय निर्देशों का क्रमवार विवरण :

1. मृदा एवम् जल संरक्षण : -

- भूक्षरण व जल प्रवाह को नियन्त्रित करने के लिए क्षेत्र को समतल करना तथा सीढ़ीनुमा खेतों व मेढों का रख-रखाव करना ।
- भू-जल व वर्षा जल का संरक्षण व भण्डारण करना ।
- जल संग्रहण संरचनाओं जैसे बांध, तालाब इत्यादि के आस-पास मृदा संरक्षण के लिए पौधे व झाड़ियों रोपण करना तथा जैव इंजिनियरिंग के लिए उपायों को अपनाना ।
- जल व मृदा रोधक बांधों की उंचाई 10 मीटर से अधिक न हो ।
- मृदा एवम् जल संरक्षण के लिए चिन्हित स्थान पर किसी भी संरचना का निर्माण करने से पहले उस स्थान पर पत्थर उत्खनन करना सख्त वर्जित है ।
- चिन्हित भू-क्षेत्र का भूक्षरण रोकने व नमी रखने के लिए स्थिति के अनुरूप भू-संरक्षण उपाय अपनाना ।
- उच्च पहाड़ीदार ढलानों से तीव्र गति से बहने वाले पानी की उचित निकासी (डायवर्सन चैनल के माध्यम से) का प्रबंधन करना ताकि निम्न क्षेत्रों के सीढ़ीनुमा खेतों (बैंच टैरेस) को भूक्षरण से बचाया जा सके ।

2. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन : -

- यह सुनिश्चित कर लें कि क्या जैव उर्वरक राज्य में उपयोग के लिए प्रदेश के उपनिदेशक बागवानी, उपनिदेशक कृषि, वानिकी व बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हों ।
- गोबर की खाद कम्पोस्ट इत्यादि जैव उर्वरकों का इस्तेमाल नियमित रूप से किया जाना चाहिए, जिससे न केवल पौधों की पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके बल्कि मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जैविक गतिविधियों को भी बढ़ाया जा सके ।
- जैव उर्वरकों का भण्डारण ठण्डे व सूखे स्थान, जहां सूर्य की सीधी रौशनी न आती हो, में किया जाना चाहिए ।
- जैव उर्वरकों का इस्तेमाल (बेसल डोज़) अंतिम हल जुताई के साथ किया जाना चाहिए ।
- जैव उर्वरक से उपचारित बीजों/पौधों को रसायनिक उर्वरकों व कीट नाशकों के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए ।

- फसलों के अवशेष और खरपतवार जिनका चारे व बालन के रूप में उपयोग न होता हो, उन्हें या तो मृदा में ही मिश्रित किया जाना चाहिए या इसका कम्पोस्ट बनाकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- वर्षा ऋतु के दौरान जब अत्याधिक बारिश की सम्भावना हो तो खेत में हल (टिलेज) नहीं चलाना चाहिए।
- मिट्टी की जैविक क्षमता बनाए रखने के लिए खेत की मेढ़ों पर नाइट्रोजन बढ़ोतरी करने वाली कृषि व वानिकी प्रजातियों का रोपण करना चाहिए।
- बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित की जाने वाली वैज्ञानिक बागवानी पद्धति अपनायी जानी चाहिए।
- उच्च पैदावार फलों की प्रजातियों की विफलता की संभावना व मानव और वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए पॉली हाउस, पॉली पिट, पॉली ट्रैंच इत्यादि विधि अपना कर संरक्षित खेती करनी चाहिए।
- सघन बागवानी, परागण, मृदा उर्वरता प्रबंधन, जैव नियंत्रण एजेंटो तथा जैव उर्वरकों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियाँ (पैकेज ऑफ प्रैक्टिसीज) अपनाएं।
- फलों के बगीचों को तेज गर्मी, ओला वृष्टि, कोरा इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृक्षों के उपरी हिस्से (कनॉपी) में नैट का उपयोग करें।
- परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत फसल प्रबंधन (इंटेग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट) के प्रदर्शनों को अपनाने में चयनित बागवानों की भागिदारी को प्रोत्साहित करें।
- मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने तथा मिट्टी व जल प्रदूषण को कम करने के लिए जैव उर्वरकों जैसे जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, कार्बनिक मल्य, सूक्ष्म जैविक खादों तथा जैव कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए।
- परियोजना की एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन (आई.पी.एम.) पद्धति के अन्तर्गत अनुमोदित कीटनाशकों का उपयोग, सही मात्रा, वांछित समय तथा सुरक्षा उपायों के अनुसार करें।

3. कृषि व बागवानी

- उच्च पोषण मूल्य की पारंपरिक फसलों को अधिक उपज देने वाली आधुनिक फसलों (हाई यील्डिंग वेरायटी) द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।
- मृदा व पोषण के पोषक तत्वों की समय-समय पर जांच करवाएं।
- मृदा की जैविक प्रजनन क्षमता बनाए रखने के लिए खेतों के मेढ़ों पर नाइट्रोजन बढ़ाने वाली फसलों का रोपण करना चाहिए।
- मौजूदा बगीचों में परियोजना के तहत प्रोत्साहित की जाने वाली वैज्ञानिक बागवानी प्रबंधन पद्धति

अपनाई जानी चाहिए ।

- सघन बागवानी, परागण, मृदा उर्वरता प्रबंधन, जैव नियंत्रण ऐजेण्टों तथा जैव उर्वरकों के प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां (पैकेज ऑफ प्रैक्टिसीज़) अपनाएं ।
- बगीचों को तेज गर्मी, ओलावृष्टि, कोरा इत्यादि से बचाने के लिए वृक्षों के (कनॉपी) उपरी हिस्से में नैट लगाएं ।
- एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन पद्धति अपनाएं तथा अनुमोदित कीटनाशकों का ही उपयोग करें ।

4. जल संचयन :-

- वर्षा के जल भण्डारण के लिए तालाबों, चैक डैम इत्यादि के निर्माण को प्रोत्साहित करें ।
- घरेलू बागवानी (किचन गार्डनिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए घर की छत से वर्षा के जल संग्रहण के लिए टैंक बनवाएं ।
- जल संग्रहण के लिए बनाए गये तालाब, टैंकों इत्यादि के तलहट्ट में पॉलीथीन शीट लगवाएं तथा इन्हे उचित आवरण भी लगवाएं ताकि पानी के रिसाव तथा वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान से इन्हें बचाया जा सके ।
- जल-जनित रोगों की सम्भावनाओं को कम करने के लिए जल भण्डारण संरचनाओं, तालाबों, बांधों इत्यादि की क्लोरिनेशन तथा फिल्टर इत्यादि लगवा कर सफाई का विशेष ध्यान रखें ।
- जल संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त डिज़ाइन, आकार तथा स्थान का चयन करें ।
- छोटे भूमीगत टैंकों का निर्माण करें ताकि जल रिसाव की संभावना को कम किया जा सके ।
- टैंकों की मुरम्मत के लिए फेरो-सीमेंट का उपयोग करें ।
- भूमीगत जल को सुरक्षित रखने के लिए कम गहराई के तालाबों का निर्माण करें ।
- निर्मित तालाबों में, गौशाला के गोबर, गौत्र इत्यादि का रिसाव न होने दें तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित न करें ।
- जल संरचनाओं में मच्छरों के अण्डों को नष्ट करने उपयोग के लिए मछली पालन जैसे उपायों को प्रोत्साहित करें ।
- हित धारक सामुदायों व जल उपभोक्ता, समूहों द्वारा जल का तर्क संगत उपयोग सुनिश्चित बनाने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उपयोग के नियम-विनियम बनाए ।
- कल्सटर स्तर पर सामुदायिक जल भण्डारण टैंकों के निर्माण के लिए जगह का चयन समस्त हित धारकों की सुविधा व सहयोग से किया जाना चाहिए ताकि जल उपभोक्ता समूहों में वाद-विवाद की सम्भावनाओं को कम किया जा सके ।
- पाईप-लाईन में जल के जमाव को रोकने के लिए तथा खुदाई की गई मिट्टी की सघनता के लिए, पाईप-लाईन को जमीन में गहराई से दबाना चाहिए ।

- सभी जल संरचनाओं का निर्माण, वास्तविक साईट सर्वेक्षण तथा स्वीकृत डिजाईन पर आधारित होना चाहिए ।
- तालाबों, बांधों, ट्रैंच इत्यादि जल संरचनाओं के निर्माण से उत्पन्न शीर्ष उपजाऊ मिट्टी से खेतों की भेदों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा अतिरिक्त मिट्टी को आस पास के खेतों में फैलाना चाहिए ।
- जहां तक सम्भव हो, जल संग्रहण बांधों का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां कोई पेड़ पौधे न हो । यदि पेड़ों के कटान को टाला न जा सके तो ऐसी स्थिति में जल उपभोगता समूह यह सुनिश्चित करें कि कटान किए गए एक वृक्ष के बदले कम से कम दस पौधे लगाए जाएं तथा समूह इसे 3 वर्ष तक संरक्षण दें तथा रोपित किए गये पौधों में से कम से कम 90 प्रतिशत पौधे जीवित रहें ।
- यह सुनिश्चित करें कि तालाब में पानी प्रवेश से पहले यह गाद फिल्टर के माध्यम से प्रवाहित हो ताकि तालाबों में लगातार गाद इकट्ठी न हो । साधारणतः गाद फिल्टर एक गड्ढा (डिच) होता है जिसे बजरी, कंकड़ इत्यादि से भरा जाता है तथा तालाब में जल प्रवेश से पहले इसी गाद फिल्टर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है ।
- प्रत्येक तालाब में एक निकासी द्वार होना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके, तथा यह भी सुनिश्चित होगा कि तालाब में भर जाने की स्थिति में इसके किनारे न टूटे ।

5. जल उपयोग :-

- फसल की जल आवश्यकता के अनुसार ही जल उपलब्ध करवाना चाहिए ।
- वाष्पीकरण से होने वाले जल नुकसान की भरपाई के लिए समस्त फसल चक्र के दौरान पौधों के तौलियों में कार्बनिक मलूच, घास इत्यादि का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करें ।
- सभी जल व्यवस्थाओं में सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप, स्प्रिंकलर इत्यादि का अनिवार्य उपयोग करें ताकि उपलब्ध जल भण्डारण के प्रभावी उपयोग से ज्यादा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा सके ।
- जल संरचनाओं के निर्माण में लाभार्थियों के लागत को कम करने के लिए साधारण व कम लागत के ग्रेवटी संचालित (गुरुत्वाकर्षण द्वारा) ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करें ।

6. कृषक उत्पाद संगठन /कम्पनी (एफ.पी.ओ.) :-

- कीटनाशकों का नाम, ब्रांड, सक्रीय घटक सहित उनके खरीद व बिक्री के सम्पूर्ण विवरण सहित, उचित रिकॉर्ड का ब्योरा तैयार करें ।
- कीटनाशकों के उपयोग के लिए सुरक्षा गीयर जैसे प्लास्टिक के दस्ताने, मुखौटे, चश्में, जूते

इत्यादि का स्टॉक रखें तथा इनकी बिक्री को बढ़ावा दें ।

- एफ.पी.ओ., कृषि रसायनों के अंधाधुंध स्टॉक व बिक्री को बढ़ावा नहीं देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि इसके सदस्य परियोजना की एकीकृत कीट का प्रबंधन (आई.पी.एम.) तथा एकीकृत पोषण प्रबंधन (आई.एन.एम.) पद्धति अपनाए और तदनुसार प्रासंगिक उत्पादों का स्टॉक व बिक्री करें ।
- यदि कीटनाशक दवाईयां एक से अधिक स्थानों पर बेची या रखी जा रही हो प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त संस्था से अलग अलग लाईसेंस ले तथा परिसर के एक मुख्य हिस्से में लाईसेंस प्रदर्शित करें, जो कि आम जनता की जागरूकता के लिए हर समय उपलब्ध रहे ।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा वर्गीकृत खतरनाक श्रेणी में रखे गये कीटनाशकों का इस्तेमाल व बिक्री प्रतिबन्धित है ।
- आई.एस.आई. मार्क के प्रमाणन के बिना कीटनाशकों की बिक्री न करें ।
- ऐसे किसी भी कीटनाशक जो ठीक से न तो पैक किया गया हो न उसमें लेबल लगा हो और न ही उसमें सुरक्षा दिशा निर्देश सहित पत्रक दिया गया हो, को न तो स्टॉक करें और न ही ऐसे कीटनाशकों की बिक्री करें ।
- कीटनाशकों के कटेनर पर निर्माता कंपनी के शिला लेख (इन्सकृप्शन) या मार्क न तो बदलें और न ही हटाएं ।
- कीटनाशकों की बिक्री का एक अलग रजिस्टर बनाएं जिसमें सभी किसानों के नाम पते तथा बिक्री व वितरित किए गए कीटनाशकों का तिथिवार ब्योरा दर्ज किया गया हो ।
- एक ही ईमारत जिसमें मनुष्य या जानवरों द्वारा उपभोग्य पदार्थ या तो तैयार किए जा रहे हों या स्टोर किए गये हों या बिक्री के लिए रखे गये हों, का भण्डारण न करें अथवा कीटनाशक अलग कमरे स्थान पर रखें जो अच्छी तरह से निर्मित हो, जहां पर्याप्त रोशनी हो व हवादार हो तथा पर्याप्त आकार का हो ।
- सक्षम प्राधिकारी से कीटनाशकों के बेचने, स्टॉक, प्रदर्शन व वितरण करने के लिए लाईसेंस प्राप्त करें ।
- किसान सदस्यों के एकीकृत कीट व पोषण प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए बागवानी विश्व विद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र व बागवानी विभाग से समन्वय स्थापित करें ।
- जैव उर्वरकों तथा जैविक खादों जैसे वर्मीकम्पोस्ट के स्टॉक व बिक्री को प्रोत्साहित करें ।
- कीटनाशकों को उपयोग की समाप्ति तिथि के तुरंत बाद ऐसे सभी स्टॉक को स्पष्ट संकेत के साथ अलग जगह रखें तथा यह अंकित करें कि “यह बिक्री के लिए नहीं है” । इन कीटनाशकों का पर्यावरण के अनुकूल विधि से निपटान करें ।
- सदस्य किसानों को मृदा परीक्षण (सौवायल टैस्टिंग) व उर्वरक सिफारिश सेवाएं प्रदान करें । कृषि

प्रयोजन के सभी जैविक कचरे जैसे वृक्ष की छाल, सड़े गले बीज, फल सब्जियों, फसलों के अवशेष इत्यादि की कम्पोस्ट तैयार कर पुनः उपयोग में लाएं ।

- यह सुनिश्चित करें कि कचरे का कम्पोस्ट उत्पादन या डंपिंग क्षेत्र, पैकिंग सुविधा वाले स्थानों से उपयुक्त दूरी पर हो ताकि कटान की गई फसलों में बीमारियां न फैले और न ही पैकिंग स्थल पर कीट पतंगे आकर्षित हो ।
- कम्पोस्टिंग क्षेत्र से समृद्ध पोषक तत्वों के क्षरण से भूसतह का जल व भू- जल दूषित न हों ।
- परियोजना के अन्तर्गत सामुदायिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) में फलों के धुलाई से निकलने वाले बेकार पानी की उचित निकासी का प्रबंधन करे तथा दूषित जल को ड्रेनेज पाईप के माध्यम से एक गड्ढे में एकत्रित किया जाना चाहिए ।
- अकार्बनिक कचरा जैसे पैकेजिंग सामग्री, प्लास्टिक कंटेनर इत्यादि का पुनः उपयोग में लाना चाहिए । क्षतिग्रस्त व अनुपयोगी केन, बोतलों इत्यादि को रिसाइक्लिंग की जानी चाहिए ।
- गोबर की खाद, कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किसान स्तर तथा एफ.पी.ओ. स्तर की व्यापार योजना बनाकर तैयार करना चाहिए ।

7. परियोजना के अन्तर्गत ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों जिसको पर्यावरण पर गम्भीर प्रभाव है तथा जो राज्य सरकार, भारत सरकार तथा जिसमें विश्व बैंक की सुरक्षा नितियों, विनियमों का पालन न होता हो, को प्रतिबंधित किया गया है । इन गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है :-

- हिमाचल प्रदेश भूजल, विकास एवमं प्रबंधन नियमन तथा नियंत्रण अधिनियम 2005, के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों जिनमें सिरमौर जिला के पॉवटा और नाहन सिविल उपमण्डल, सोलन जिला के नालागढ़ और सोलन उपमण्डल, उना जिला के उना व अम्ब उपमण्डल तथा काँगड़ा जिला के नूरपूर व ज्वाली उपमण्डल शामिल हैं, में से किसी भी रूप में भू- जल दोहन उस क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता, सिंचाई एवमं जल स्वास्थ्य विभाग हि. प्र. की अनुमति के बिना मान्य नहीं है ।
- बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत ऐसे कीटनाशक जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कीटनाशक वर्गीकरण श्रेणी 1 अ, 1 ब तथा 2 के अन्तर्गत आते हैं, जिनका आपेक्षित लाइसेंस नहीं है, की खरीद, स्टॉक, बिक्री, वितरण तथा प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है ।
- प्रदेश के महत्वपूर्ण तथा लुप्त हो रहे प्राकृतिक क्षेत्रों में परियोजना की कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है ।
- परियोजना के अन्तर्गत भवनों, चैक-डैम, तट-बांध, रोड़ इत्यादि का निर्माण जिसका नक्शा किसी योग्य अभियंता/ईंजिनियर द्वारा अनुमोदित न हो, नहीं किया जा सकता ।
- ऐसे बांध, तटबंध इत्यादि जिनकी उंचाई 10 मीटर से अधिक हो, मान्य नहीं है ।

- परियोजना ऐसी कोई भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती जिसका औद्योगिक कचरा, सीवरेज, अन्य प्रदूषण वाले पदार्थ इत्यादि, जिसे प्रत्यक्ष या बिना अनुपचार के जल स्रोतों में विरसजित किया जाता है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आपेक्षित अनुमति तथा उपचार संयंत्र प्रावधान के बिना किसी भी औद्योगिक गतिविधि का क्रियान्वयन प्रतिबन्धित है।

8. कीटनाशकों का भण्डारण, हैंडलिंग व निपटारा (डिस्पोज़ल) :

कीटनाशकों के पैकिंग खोलते, स्प्रे के लिए घोल तैयार करते समय तथा छिड़काव के दौरान कीटनाशकों का एक्सपोज़र की सम्भावना बनी रहती है। कीटनाशकों के घोल तथा इनके पात्रों (कटेनरों) के निपटान की सामान्य सावधानियां : -

- कीटनाशकों का इस्तेमाल करते समय ऑपरेटर को सुरक्षात्मक टोपी, मूंह पर मास्क तथा आँखों पर चश्मा लगाना चाहिए।
- कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान खाना - पीना व धूम्रपान वर्जित है।
- छिड़काव करने के उपरांत तथा खाना - पीना व धूम्रपान करने से पहले, साबुन से हाथ व चेहरे को अवश्य धोएं।
- दिन के अंत में कीटनाशक के छिड़काव का कार्य समाप्त करने के पश्चात स्नान करें, साफ वस्त्र पहने तथा छिड़काव के दौरान इस्तेमाल किए गए सुरक्षात्मक वस्त्रों को साबुन से धोएं और इन्हें परिवार के अन्य वस्त्रों से अलग रखें।
- यदि छिड़काव के दौरान कीटनाशक त्वचा को स्पर्श कर जाए तो तुरन्त इसे साबुन व पानी से धोना चाहिए।
- कीटनाशक छिड़काव के दौरान यदि वस्त्र इससे दूषित हो जाए तो इन्हें तुरन्त बदल दें और यदि अस्वस्थ महसूस करें तो पर्यवेक्षक को तुरन्त सूचित करें।

9. सुरक्षात्मक वस्त्र व उपकरण : -

कीटनाशकों का अवशोषण मुख्य रूप से त्वचा, फेफड़े तथा मुंह के माध्यम से होता है। उत्पाद लेबल पर लगे सुरक्षा निर्देशों के अनुसार विशिष्ट सुरक्षात्मक कपड़े और उपकरणों का उपयोग करें, जो निम्न प्रकार से हैं : -

- यह स्प्रे बूंदों से सिर, चेहरे व आँखों की रक्षा करता है।
- यह चेहरा व आँखों में स्प्रे गिरने से रक्षा प्रदान करते हैं।
- यह हवा में मौजूद कीटनाशकों के कणों से नाक व मूंह की रक्षा करता है।
- रबड़ के दस्ताने व जूते इत्यादि।

10. कीटनाशकों का संग्रहण :-

- कीटनाशकों का भण्डार उन क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए जहां लोगों या जानवरों की रिहाइश हो तथा पानी के स्तोत्र जैसे कुएं नहरें इत्यादि न हो ।
- भण्डार उच्च स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां बाड़बंदी की गई हो तथा अधिकृत व्यक्तियों की ही आवाजाही मान्य हो । इसके अतिरिक्त वहां कीटनाशक वितरण वाहन आसानी से आ - जा सके तथा कीटनाशक संग्रहण भवन की अन्य तीन स्थानों से आपातकाल स्थिति जैसे आग बुझाने व उपकरणों के ले जाने के लिए उपयुक्त जगह होनी चाहिए ।
- कीटनाशकों का संग्रहण ऐसा स्थान, जहां इनकी स्थिरता व गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी या नमी इत्यादि का प्रभाव हों, में नहीं करना चाहिए ।
- भण्डार सुरक्षित एवमं हवादार होना चाहिए ।
- कीटनाशकों के कंटेनर/बैग या बक्से इत्यादि को व्यवस्थित ढ़ंग से रखना चाहिए ताकि कीटनाशकों का किसी भी तरह का रिसाव न हो ।
- कीटनाशकों का स्टॉक व वितरण का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए तथा कीटनाशकों के भण्डार तक केवल अधिकृत कर्मियों की ही पहुंच होनी चाहिए ।
- भण्डार के बाहर जहरीले व खतरनाक पदार्थों के इस्तेमाल से संबंधित सर्तकता चिन्ह प्रदर्शित होना चाहिए तथा भण्डारण भवन में ताला लगा होना चाहिए ।
- कीटनाशक के किसी भी तरह रिसाव होने की सम्भावनाओं के कम करने के लिए इनके कंटेनर, डिब्बों इत्यादि को व्यवस्थित ढंग से सीमित ढेर की उंचाई तक ही रखना चाहिए ।

कीटनाशकों का परिवहन :-

- कीटनाशकों को सुरक्षित तरीके से मुहरबंद व लेबल युक्त कंटेनरों, बक्से या थैले में लाया जाना चाहिए।
- कीटनाशकों का परिवहन अलग से करना चाहिए, इन्हें कभी भी किसी तरह के कृषि उत्पाद, भोजन, कपड़े, दवाईयों, खिलौनों व कास्मैटिक्स वस्तुओं के साथ नहीं लाना चाहिए क्योंकि यह कीटनाशकों से दूषित होने पर खतरनाक साबित हो सकते हैं ।
- कीटनाशकों के कंटेनरों, बक्से, थैले इत्यादि को इस तरह वाहन में रखा जाना चाहिए कि परिवहन के दौरान यह क्षतिग्रस्त न हो, इसके लेबल न निकलें तथा यह सड़क पर न बिखरें ।
- कीटनाशकों के परिवहन वाले वाहन पर चेतावनी सूचना प्रदर्शित होनी चाहिए ।
- परिवहन के दौरान एक अंतराल पर कीटनाशकों के भार की जांच करनी चाहिए तथा किसी भी

तरह के रिसाव, फैलाव की स्थिती में इन्हे प्रदूषण मानक प्रक्रियों के अनुरूप तुरंत साफ करना चाहिए ।

कीटनाशकों एवम् खाली पैकेजिंग अवशेषों का निपटान :-

- कीटनाशकों के छिड़काव का कार्य समाप्त होने के पश्चात, स्प्रे पंप को भीतर से तथा इसके लैस व नोज़ल से अवशिष्ट कीटनाशकों को धोना चाहिए ।
- स्प्रे पंप के धुले पानी को चिन्हित ड्रम में एकत्रित करना चाहिए तथा इसका इस्तेमाल अगले दिन कीटनाशकों को घोल तैयार करने में तथा शेष जल को पर्यवेक्षक की निगरानी में विशेष रूप से तैयार किए गड्डे में डालना चाहिए ।
- नदियों तालाबों व पीने के स्रोतों में कीटनाशकों के अवशेषों की नहीं डालना चाहिए ।
- जहां तक सम्भव हो, कीटनाशकों के खाली कंटेनर को धोकर साफ करें । कांच प्लास्टिक व धातु के कंटेनर को कम से कम तीन बार पानी से धोएं तथा धूलान के पानी को एक बाल्टी में एकत्रित करें तथा इसे अगले दिन कीटनाशक का घोल तैयार करने में उपयोग करें ।
- राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार कीटनाशकों के खाली पैकेजिंग का सुरक्षित निपटान पर्यवेक्षक के निगरानी में ही करना चाहिए ।
- कीटनाशकों के खाली कंटेनर का पुनः इस्तेमाल न करें ।
- कीटनाशक निर्माताओं, किसानों एवम् ऑपरेटरों का दायित्व है कि इसके पैकेज या अधिशेष सामग्री और कंटेनरों की धुलाई का निपटान सुरक्षित ढंग किया जाए, ताकि इससे किसी भी तरह का पर्यावरण प्रदूषण या जल प्रदूषण न हों ।
- इस्तेमाल किए गए कंटेनर का पुनः उपयोग रोकने के लिए इन्हें खुले में बाहर न फेंके ।
- कीटनाशकों के कंटेनर पैकेज इत्यादि को नष्ट कर इन्हें रिहायसी स्थान से दूर किसी सुरक्षित जगह पर दबाना चाहिए ।

समय सीमा समाप्त हुए कीटनाशकों का निपटान :-

- भण्डार गृहों में रखे कीटनाशकों की समय सीमा समाप्ति से बचने के पर्याप्त उपाय करने चाहिए ।
- भण्डार किए कीटनाशकों का इस्तेमाल “*पहले समाप्ति पहले इस्तेमाल*” सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए ।
- समाप्त होने वाले स्टॉक को अधिस्थगन दिशा निर्देशों के अनुसार विनिर्देशन के लिए निर्माता कंपनी को वापिस भेजना चाहिए ।
- उपयोग की सम्भावना का पता लगाने के लिए समाप्त होने वाले कीटनाशकों के निपटान से पहले इनकी रसायनिक प्रभावकारिता का परीक्षण किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित करें कि

कीटनाशकों का प्रभाव और सक्रीय संघटक की मात्रा का परीक्षण अधिकृत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित हो।

स्वास्थ्य निगरानी : -

कीटनाशकों के आकस्मिक सम्पर्क में आने और विषाक्तता के लक्षण होने की स्थिति में तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए।

11. विदेशों से आयात की जा रही पौध सामग्री के प्रवेश उपरांत की संगरोध (पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन) आवश्यकताएं:-

प्लांट क्वारंटाइन (भारत में आयात का नियमन) आदेश, 2003 के अध्याय संख्या IV के प्रावधानों के अनुसार आयातक के पास प्रवेश संगरोध सुविधा जैसे पृथक पौधशाला, ग्लास हाउस, पॉली हाउस इत्यादि की सुविधा होनी आवश्यक है, जो कि उपरोक्त आदेश के शैड्यूल XI के भाग-1 और भाग-2 में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार निरीक्षण प्राधिकरण (ईसंपैक्शन आथॉरिटी) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रमाणित हों। आयातक को पी.क्यू.फार्म - 18 में निरीक्षण प्राधिकरण, को प्रवेश - प्रविष्टी संगरोध सुविधा के अनुमोदन के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा संगरोध सुविधा का अनुमोदन पी.क्यू. फार्म संख्या - 19 के माध्यम से जारी किया जाता है। संगरोध सुविधा की आवश्यकताओं का विवरण इस प्रकार है :-

खुले - क्षेत्र की संगरोध पी.ई.क्यू. सुविधा आवश्यकताएं :-

- फॉर्म हाउस या पौधशाला क्षेत्र के चारों ओर से 1.25 मीटर की उंचाई तक बाड़ लगी हो तथा एक ही प्रवेश द्वार होना चाहिए। पौधशाला, सामान फसल वाले क्षेत्र से लगभग 500 - 1000 मीटर दूरी पर होनी चाहिए।
- नर्सरी में जहां विदेशों से आयात की गई पौध सामग्री लगाई है उस क्षेत्र को 10 फीट की उंचाई तक उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन शीट या ढैंचा, सैसबानियां इत्यादि की झाड़ियों को 3 से 4 पंक्तियों में लगाकर चारों ओर से कीट बाधा के लिए बाड़बन्दी करनी चाहिए।
- मुख्य द्वार पर एक साइनबोर्ड लगा होना चाहिए जोकि यह ईंगित करता हो कि कि इस पी.ई.क्यू. क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित है।
- संगरोध पौधशाला समतल व उच्च क्षेत्र में उपयुक्त उंचाई पर स्थित होनी चाहिए, जहां पानी की निकासी का उचित प्रबंध हो।
- सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी अच्छी गुणवन्ता का होना चाहिए तथा इसे कीट मुक्त करके ही उपयोग करना चाहिए।
- सिंचाई केवल ड्रूप सिंचाई प्रणाली या नाली बनाकर ही करनी चाहिए तथा ओवर हैड सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए।

- पी.ई.क्यू. पौधाशाला में मिट्टी के सौरीकरण या पाश्चुराइजेशन, ईसीनरेशन, छिड़काव व सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए ।
- पौधाशाला खरपतवार व फसलों के अवशेष इत्यादि से मुक्त होनी चाहिए ।
- पी.ई.क्यू. सुविधा संचालन के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रियाओं जैसे रिकॉर्ड रखना, कीट निगरानी, स्वच्छता इत्यादि का पालन आवश्यक है ।
- संचालन के लिए योग्य स्टाफ की व्यवस्था हो तथा समय-समय पर उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

बंद संगरोध (शीशा/स्क्रीन/पॉली हाउस)/क्लोर्जुड क्वारन्टाइन फैसिलिटी की आवश्यकताएं :-

- कांच/स्क्रीन/पॉली हाउस सुविधा में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार (आंतरिक व बाहरी) की व्यवस्था होनी चाहिए । आंतरिक द्वार पर स्वतः चलित डोर क्लोजर लगा हो तथा बाहरी द्वार को स्लाइड करके खोलने व बंद करने की व्यवस्था हो तथा जिसे ताला लगा कर बंद भी किया जा सके।
- बंद संगरोध सुविधा, कीट पंतगों के प्रवेश से पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए ।
- इस सुविधा में प्रवेश के लिए पैदल रास्ता, हाथ धोने के लिए बेसिन व निस्संक्रमण की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- संगरोध सुविधा में बाह्य क्षेत्र के लिए खुले सभी अंतराल ठीक ढंग से बंद होने चाहिए ।
- टिशू कल्चर के माध्यम से तैयार की जा रही पौध के लिए उपयुक्त मिस्टिंग सुविधा तथा प्रत्यारोपण के अनुकूलन की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- संगरोध सुविधा व सभी कटेनर कीटाणु रहित, खरपतवार रहित व मिट्टी से मुक्त होने चाहिए ।
- पौध तैयार करने के लिए मिट्टी रहित व कीटाणु रहित माध्यम या कीटाणु मुक्त मृदा का उपयोग करना चाहिए ।
- बंद संगरोध क्षेत्र में गमले भरने के लिए अलग सुविधा होनी चाहिए ।
- इस्तेमाल किया जाने वाला पानी अच्छी गुणवत्ता व कीटाणु मुक्त होना चाहिए ।
- टिशू कल्चर से तैयार पौधों को उगाने के लिए उभरे हुए व चलित बैच (स्लाईड बैच) लगे होने चाहिए ।
- मृदा फर्श सुरक्षात्मक झिल्ली (पॉलीथीन आवरण) से ढका होना चाहिए ।
- अनाधिकृत प्रवेश रोकने की पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए ।
- सुविधा संचालन के लिए आवश्यक मानक संचालन प्रक्रियाओं जैसे रिकॉर्ड रखना, कीट निगरानी, स्वच्छता इत्यादि का पालन आवश्यक है ।
- बंद संगरोध सुविधा संचालन के लिए योग्य स्टाफ की व्यवस्था हो तथा समय-समय पर उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है ।

12. बागवानी विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रतिबंधित कीटनाशकों का ब्योरा :

केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड (कीटनाशक अधिनियम 1968 के सैक्शन 4 के अन्तर्गत) भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित, प्रमाणीकरण के लिए प्रतिबंधित व इस्तेमाल बाधित कीटनाशकों का ब्योरा (20 अक्टूबर 2015 तक) (Website : <http://cibrc.nic.in/>)

I- भारत में प्रतिबंधित कीटनाशक व फार्मुलेशन :

A Pesticides Banned for manufacture, import and use	
1	Aldicarb (vide S.O. 682 (E) dated 17th July 2001)
2	Aldrin
3	Benzene Hexachloride
4	Calcium Cyanide
5	Chlorbenzilate (vide S.O. 682 (E) dated 17th July 2001)
6	Chlordane
7	Chlorofenvinphos
8	Copper Acetoarsenite
9	Dibromochloropropane (DBCP) (vide S.O. 569 (E) dated 25th July 1989)
10	Dieldrin (vide S.O. 682 (E) dated 17th July 2001)
11	Endrin
12	Ethyl Mercury Chloride
13	Ethyl Parathion
14	Ethylene Dibromide (EDB) (vide S.O. 682 (E) dated 17th July 2001)
15	Heptachlor
16	Lindane (Gamma-HCH)
17	Maleic Hydrazide (vide S.O. 682 (E) dated 17th July 2001)
18	Menazon
19	Metoxuron
20	Nitrofen
21	Paraquat Dimethyl Sulphate
22	Pentachloro Nitrobenzene (PCNB) (vide S.O. 569 (E) dated 25th July 1989)
23	Pentachlorophenol
24	Phenyl Mercury Acetate
25	Sodium Methane Arsonate
26	Tetradifon
27	Toxaphene(Camphechlor) (vide S.O. 569 (E) dated 25th July 1989)
28	Trichloro acetic acid (TCA) (vide S.O. 682 (E) dated 17th July 2001)

B	Pesticide formulations banned for import, manufacture and use	
	1	Carbofuron 50% SP (vide S.O. 678 (E) dated 17th July 2001)
	2	Methomyl 12.5% L
	3	Methomyl 24% formulation
	4	Phosphamidon 85% SL
C	Pesticide / Pesticide formulations banned for use but continued to manufacture for export	
	1	Captafol 80% Powder (vide S.O. 679 (E) dated 17th July 2001)
	2	Nicotin Sulfate
D	Pesticides Withdrawn	
	(Withdrawal may become inoperative as soon as required complete data as per the guidelines is generated and submitted by the Pesticides Industry to the Government and accepted by the Registration Committee. (S.O 915(E) dated 15th Jun,2006)	
	1	Dalapon
	2	Ferbam
	3	Formothion
	4	Nickel Chloride
	5	Paradichlorobenzene (PDCB)
	6	Simazine
	7	Sirmate (S.O. 2485 (E) dated 24th September 2014)
	8	Warfarin (vide S.O. 915 (E) dated 15th June 2006)

II- कीटनाशक जिनका भारत में पंजीकरण नहीं किया गया है :

Sr. No.	Name of Product
1	2,4, 5-T
2	Ammonium Sulphamate
3	Azinphos Ethyl
4	Azinphos Methyl
5	Binapacryl
6	Calcium Arsenate
7	Carbophenothion
8	Chinomethionate (Morestan)
9	Dicrotophos
10	EPN
11	Fentin Acetate

Sr. No.	Name of Product
12	Fentin Hydroxide
13	Lead Arsenate
14	Leptophos (Phosvel)
15	Mephosfolan
16	Mevinphos (Phosdrin)
17	Thiodemeton / Disulfoton
18	Vamidotion

भारत में इस्तेमाल के लिए वर्जित (रिसिट्रिकटिड इस्तेमाल) कीटनाशक :

1. Aluminium Phosphide, 2. Captafol, 3. Cypermethrin, 4. Dazomet , 5. Diazinon, 6. Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), 7. Fenitrothion, 8. Fenthion, 9. Methoxy Ethyl Mercuric Chloride (MEMC), 10. Methyl Bromide, 11. Methyl Parathion, 12. Monocrotophos, 13. Sodium Cyanide.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा प्रतिबंधित, इस्तेमाल बाधित किए जाने वाले कीटनाशकों का ब्योरा (स्रोत्र: इ.एस.एम.एफ बागवानी विकास परियोजना)

1. प्रतिबंधित कीटनाशक :

Aldrin	Benzene Hexa Chloride (BHC)
Calcium Cyanide	Chlordane
Copper acetoarbenite	Dibromocworopropane (DBCP)
Endrin	Ethyl Mercury Chloride
Ethyl parathion	Heptachlor
Manzona	Methomyl 24% Formulation
Nicotine Sulphate	Nitrofen
Paraquate dimethyl sulphate	Penta Choloro nitrobenzene
Penta cholorphenol (PCP)	Phenyl Mercury Acetate (PMA)
Sodium Methane Arsonate (MSMA)	Tetradifon
Toxaphene	Phosohamidon 85% SL
Methomyl 12.5% L	Aldicarb
Chlorbenzilate	Deildrin
Ethyl dibromide (EDB)	Maleic Hydrazide
Trichloro Acetic Acid (TCA)	Aluminium phosphamid
Carbofuran 505 WP	Captafal 80%
Malathian 25 DP & 50% EC	Methoxy ethyl mercury chloride (MECE)

2. अति खतरनाक श्रेणी के कीटनाशको (Ia) के सकीय संघटको का व्योरा जो कि परियोजना के अन्तर्गत प्रतिबंधित है :

Aldicarb	Difethialone	Parathion-methyl
Brodifacoum	Diphacinone	Phenylmercury acetate
Bromadiolone	Disulfoton	Phorate
Bromethalin	Ethoprophos	Phosphamidon
Calcium cyanide	Flocoumafen	Sodium fluoroacetate
Captafol	Fonofos	Sulfotep
Chlorethoxyfos	Hexzchlorobenzene	Tebupirimfos
Chlormephos	Mercuric chloride	Terbufos
Chlorophacinone	Mevinphos	
Difenacoum	Parathion	

3. खतरनाक श्रेणी के कीटनाशको (Ib) के सक्रीय संघटको का व्योरा जो कि परियोजना के अन्तर्गत प्रतिबंधित है :

Azinphos-methyl	Flucuthrinat	Paris green (C)
Blasticidin-S	Fluoroacetamide	Pentachlorophenol
Butocarboxim	Formetanate	Pindone
Butoxycarboxim	Furathiocarb	Pirimiphos-ethyl
Cadusafos	Heptenophos	Propaphos
Calcium arsenate	Isazofos	Propetamphos
Carbofuran	Isofenphos	Sodium arsenite
Chlorfenvinphos	Isoxathion	Sodium cyanide
3-Chloro-1, 2-prppanediol	Lead arsenate	Strychnine
Coumaphos	Mecarbam	Tefluthrin
Coumatetralyl	Mercuric oxide	Thallium sulphate
Zeta-cypermethrin	Methamidophos	Thiofanox
Demeton-S-methyl	Methidathion	Thiometon
Dichlorvos	Methiocarb	Triazophos
Dicrotophos	Methomyl	Vamidothion
Dinoterb	Monocrotophos	Warfarin
Edifephos	Nicotine	Zinc phosphide

4. मध्यम स्तर के खतरनाक श्रेणी के कीटनाशको (II) के सक्रीय संघटको का व्योरा जो कि परियोजना के अन्तर्गत प्रतिबंधित है :

Alanycarb	Endosulfan	Paraquat
Anilofos	Endothal-sodium	Pebulate
Azaconazole	Esfenvalerate	Permethrin
Azocyclotin	Ethion	Phenthoate
Bendiocarb	Etrimfos	Phosalone
Benfuracarb	Fenazaquin	Phosmet
Bensulide	Fenitrithion	phoxim
Bifenthrin	Fenobucarb	Piperophos
Bilanafos	Fenpropidin	Pirimicarb
Bioallethrin	Fepopathrin	Prallethrin
Bromoxynil	Fenthion	Profenofos
Bromuconazole	Fenthin acetate	Propiconazole
Bronopol	Fentin hydroxide	Propoxur
Butamifos	Fenvalerate	Prosulfocarb
Butylamine	Fipronil	Prothiofos

Carbaryl	Fluxofenim	Pyraclafos
Carbosulfan	Formothion	Pyrazophos
Cartap	Fuberidazole	Pyrethrins
Chloralose	Gamma-HCH	Pyroquilon
Chlordane	Guazatine	Quinalphos
Chlorfenapyr	Haloxypof	Quizalofop-p-tefuryl
Chlorphonium chloride	Heptachlor	Rotenone
Chlorpyrifos	Imazalil	Sodium fluoride
Clomazone	Imidacloprid	Sodium hexafluorosilicate
Copper sulphate	Iminoctadine	Spiroxamine
Cuprous oxide	loxynil	Sulprofos
Cyanazine	loxynil octanoate	Terbumeton
Cyanophos	Isoprocarb	Tetraconazole
Cyflutrin	Lambda-cyhalothrin	Thiacloprid
Beta-cyfluthrin	Mercurous chloride	Thiobencarb
Cyhalothrin	Metaldehyde	Thiocyclam
Cypermethrin	Metam-sodium	Thiodicarb
Alpha-cypermethrin	Methacrifos	Trizamate
Cyphenothrin	Methasulfocarb	Trichlorfon
Deltamethrin	Methyl isothiocyanate	Tricyclazole
Diazinon	Metolcarb	Tridemorph
Difenzoquat	Metribuzin	Vernolate
Dimethoate	Molinate	Xylylcarb
Dinobuton	Nabam	
Diquat	Naled	

5. कम खतरनाक श्रेणी (III) के कीटनाशक जो परियोजना द्वारा एकीकृत कीट प्रबंधन के अंतर्गत मान्य है :

Acephate	Fluchloralin	Resmethrin
Acetochlor	Flufenacet	Sethoxydim
Acifluorfen	Fluoroglycofen	Simetryn
Alachlor	Flurprimidol	Sodium Chlorate
Allethrin	Flusilazole	Sulfuramid
Ametryn	Flutriafol	Tebuconazole
Amitraz	Fomesafen	Tebufenpyrad
Azamethiphos	Furalaxyl	Tebuthiuron

Bensultap	Glufosinate	Thiram
Bentazone	Hexazinone	Tralkoxydim
Bromofenoxim	Hydramethylnon	Triadimefon
Butoxydim	Ipropenfos	Triadimenol
Chinomethionat	Isoprothiolane	Tri-allate
Chlormequat (chloride)	Isoproturon	Triclopyr
Chloroacetic acid	Isouron	Triflumizole
Chlorthiamid	Malathion	Undecan-2-one
Copper hydroxide	MCPA-thioethyl	Uniconazole
Copper oxychloride	Mecoprop	Ziram
Cycloate	Mecoprop-P	Cyhexatin
Mefluidide	Cymoxanil	Mepiquat
Cyproconazole	Metalaxyl	Dazomet
Metamitron	Desmetryn	Metconazole
Dicamba	Mthylarsonic acid	Dichlormid
Metolachlor	Dichlorobenzene	Myclobutanil
Dichlorophen	2-Napthyloxyzcetic acid	Dichlorprop
Nitrapyrin	Diclofop	Nuarimol
Dienochlor	Octhilinone	Diethyltoluamide
N-octylbicycloheptene	Difenoconazole	dicarboximide
Dimepiperate	Oxadixyl	Demethachlor
Paclobutrazol	Demethametryn	Pendimethalin
Demethipin	pimaricin	Dimethylarsinic acid
Pirimiphos-methyl	Diniconazole	Prochloraz
Dinocap	Propachlor	Diphenamid
Propanil	Dithianon	Propargite
Dodine	Pyrazoxyfen	Empenthrin
Pyridaben	Esprocarb	Pyridaphenthion
Etridiazole	Pyridate	Fenothiocarb
Pyrifenox	Ferimzone	Quinoclamine
Fluazifop-p-butyl	Quizalofop	

6. कीटनाशकों के तकनीकी ग्रेड जो कम हानिकारक तथा जिनका उपयोग परियोजना के अंतर्गत मान्य है :

Aclonifen	Acrinathrin	Alloxydim
Amitrole	Ammonium sulfamate	Ancymidol
Anthraquinone	Asulam	Atrazine
Azimsulfuron	Azoxystrobine	Benelaxyl
Benazolin	Benfluralin	Benfuresate
Benomyl	Benoxacor	Bensulfuron-methyl
Bifenox	Bioresmethrin	Biphenyl
Bispyribac	Bitertanol	Borax
Bromacil	Bromobutide	Bromopropylate
Bupirimate	Buprofezin	Butachlor
Butralin	Butylate	Captan
Carbendazin	Carbetamide	Chlomethoxyfen
Chloramben	Chloransulam methyl	Chlorbromuron
Chlorfluzuron	Chloridazon	Chlorimuron
Chlorothalonil	Chlorotoluron	Chlorpropham
Chlorpyrifos methyl	Chlorsulfuron	Chlorthal-demethyl
Chlozolate	Cinmethylin	Cinosulfuron
Clofentezine	Clomeprop	Clopyralid
Cloxyfonac	Cryolite [C]	Cycloprothrin
Cyclosulfamuron	Cycloxydi	Cyhalofop
Cyromazine	Diamuron	Dalapon
Daminozide	Desmedipham	Diafenthiuron
Dichlobenil	Dichlofluanid	Diclomezine
Dicloran	Diclosulam	Diethofencarb
Diflubenazuron	Diffufenican	Dikegulac
Dimefuron	Dimethirimol	Dimethomorph
Dimethyl phthalate	Dinitramine	Dipropyl isocinchomerate
Dithiopyr	Diuron	Dodemorph
Ethalfuralin	Ethephon	Ethirimol
Ethofumesate	Etofenprox	Famoxadone
Fanarimol	Fenbutatin oxide	Fenchlorazole
Fenclorim	Fenfuram	Fenhexamid
Fenoxycarb	Fenpiclonil	Fenpropimorph

Fenuron	Fenuron-TCA	Ferbam
Flamprop	Flucarbazone-sodium	Flucyclozuron
Flufenoxuron	Flumetralin	Flumetsulam
Fluometuron	Flupropanate	Flupyrsulfuron
Flurenol	Fluridone	Flurochloridone
Fluroxypyr	Fluthiacet	Flutolanil
tau-Fluvalinate	Flopet	Fosamine
Fosetyl	Gibberellic acid	Glyphosate
Hexaconazole	Hexaflumuron	Hexythiazox
Hydroprene	Hymexazol	Imazamethabenzmethyl
Imazapyr	Imazapyr	Imazaquin
Imazethapyr	Imibenconazole	Inabenfide
Iprodione	Iprovalicarb	Isoxaben
Kasugamycin	Lenacil	Linuron
Maleic hydrazide	Manozeb	Maneb
Mefenacet	Mepanipyrim	Mepronil
Metazachlor	Methabenzthiazuron	Methoprene
Methoxychlor	Methylidymron	Metiram
Metobromuron	Metosulam	Metoxuron
Metsulfuron methyl	Monolinuron	2-(1-Naphthyl) acetamide
1-Naphthylacetic acid	Napropamide	Naptalam
Neburon	Niclosamide	Nicosulfuron
Nitrothal-isopropyl	Norflurazon	Ofurace
Oryzalin	Oxabetrinil	Oxdiazon
Oxine-copper	Oxycarboxin	Oxyfluorfen
Penconazole	Pencycuron	Pentanochlor
Phenedipham	Phenothrin	Phenylphenol
Phosphorus acid	Phthalide	Picloram
Piperonyl butoxide	Pretilachlor	Primisul furon
Probenazole	Procymidone	Prodiamine
Prometon	Prometryn	Propamocarb
Propaquizafop	Propazin	Propham
Propineb	Propyzamide	Pyrazolynate
Pyrazosulfuron	Pyrimethanil	Pyriminobac
Pyriproxyfen	Pyriothiobac sodium	Quinclorac
Quinmerac	Quinoxyfen	Pyriothiobac sodium

Quintozene	Rimsulfuron	Siduron
Simazine	Spinosad	Sulfometuron
Sulphur	Tebutam	Tecnazene
Teflubenzuron	Temephos	Terbacil
Terbuthylazine	Terbutryn	Tetrachlorvinphos
Tetradifon	Tetramethrin	Thiabendazole
Thidiazuron	Thifensulfuron-methyl	Thiophanate-methyl
Tiocarbzil	Tolclofos-methyl	Tolyfluanid
Transfluthrin	Triasulfuron	Tribenuron
Trietazine	Triflumuron	Trifluralin
Triflusulfuron-methyl	Triforine	Triticonazole
Validamycin	Vinclozolin	

Note

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना

सम्पर्क सूत्र :

परियोजना निदेशक:

बागवानी विकास परियोजना,

डायरटन बिज़हब, टॉलैण्ड बाईपास, शिमला - 171001

ई-मेल : hdp-pd-hp@gov.in | फोन : 0177-2674465

निदेशक बागवानी :

उद्यान निदेशालय, नवबहार, शिमला - 171002

ई-मेल : horticul-hp@nic.in | फोन : 0177-2842389

टीम लीडर :

बागवानी विकास परियोजना,

डायरटन बिज़हब, टॉलैण्ड बाईपास, शिमला - 171001

ई-मेल : hdp-tl-hp@gov.in | फोन : 0177-2674465

कॉर्डिनेटर :

ईन्वायरमेंटल एवम् सोशल सैल

बागवानी विकास परियोजना,

डायरटन बिज़हब, टॉलैण्ड बाईपास, शिमला - 171001

ई-मेल : hdp-ssdc-hp@gov.in | फोन : 0177-2674465

पर्यावरण विशेषज्ञ :

ईन्वायरमेंटल एवम् सोशल सैल

बागवानी विकास परियोजना,

डायरटन बिज़हब, टॉलैण्ड बाईपास, शिमला - 171001

ई-मेल : hdp-es-hp@gov.in | फोन : 0177-2674465



बागवानों और विभाग के तकनीकी अधिकारियों के साथ सघन बागवानी से जुड़ी वैज्ञानिक तकनीक को अणु फार्म में साझा करते न्यूज़ीलैंड विशेषज्ञ



विश्व बैंक की संयुक्त टीम का कलस्टर दौरा



पी सी डी ओ बजौरा में वैज्ञानिक कार्यशाला का आयोजन



परियोजना के अंतर्गत सघन बागवानी फलोत्पादन



बागवानी विभाग के अधिकारियों को तकनीकी जानकारी देते न्यूज़ीलैंड सब ट्रोपिकल विशेषज्ञ

निदेशक हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना द्वारा प्रकाशित
पर्यावरण व सामाजिक सेल, हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना, डायरेटन बिज़हब टॉलैंड शिमला-171002